INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.828 (SJIF 2022)

ग्रामीण रूपान्तरण का ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति पर प्रभाव अतरौली तहसील के विशेष सन्दर्भ में

(Impact of Rural Transformation on the Status of Rural Women With special reference to Atrauli Tehsil)

डॉ. राजेन्द्र सिंह
समाजशास्त्र विभाग
लालाराम श्रीदेवी महाविद्यालय
अतरौली (अलीगढ़)

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/07.2022-33135647/IRJHIS2207027

प्रस्तावना :

प्रस्तुत शोध पत्र अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील से चयनित निदर्शन पर आधारित किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में ग्रामीण रूपान्तरण का ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

ग्रामीण रूपान्तरण एवं उसमें सहभागिता से ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति में क्या कोई परिवर्तन हुआ है? प्रस्थिति निर्धारण के परम्परागत प्रतिमान, प्रस्थिति निर्माण में क्या आज भी वही हैं? क्या उनमें उतार–चढाव आया? प्रस्तुत अध्याय का अभीष्ट है। प्रस्थिति की अवधारणा को विचारकों ने विचार किया है। इलियट और मैरिल के अनुसार "प्रस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति समूह में अपने लिंग, आयु परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह आदि के कारण प्राप्त करता है।"

यथार्थतः प्रस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। प्रस्थिति व्यक्ति की समाज अथवा समाज में पद की सूचक होती है। वह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः प्रदान किया जाता है या व्यक्ति अपने गुणों या योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। प्रस्थिति का प्रथम रूप प्रदत्त प्रस्थिति तथा दूसरा रूप अर्जित प्रस्थिति का परिचायक है। रॉल्फ लिण्टन ने प्रस्थिति के दो रूप बताये हैं।

(अ) प्रदत्त प्रस्थिति (ब) अर्जित प्रस्थिति।

समाज में कुछ पद ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिये बिना ही व्यक्ति को स्वयं प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे पद प्रदत्त प्रस्थिति के ही परिचायक होते हैं जो लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, वर्ग आदि के आधार पर स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, जबकि अर्जित प्रस्थिति जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता या कार्य कुशलता के आधार पर प्राप्त करता है, अर्जित प्रस्थिति के अन्तर्गत आता है।

शिक्षा, व्यवसाय, सम्पत्ति, संचय, श्रम विभाजन आदि के आधार पर प्राप्त प्रस्थिति अर्जित प्रस्थिति को

बताती है। ग्रामीण महिलाओं की जन्म, लिंग, आयु, शारीरिक विशेषताएं, जाति एवं प्रजाति आदि प्रस्थिति के आधार पर निर्धारित होती रही हैं और सदैव पुरूषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति निम्न मानी गयी है प्रायः स्त्रियों को कमजोर, भाग्यवादी, अबला, दासी एवं सम्पत्ति आदि के रूप में माना जाता रहा है।

पारिवारिक प्रस्थिति –सामाजिक विधान, शिक्षा, राजनीति में आरक्षण तथा नारी के आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश आदि से उसकी प्रस्थिति प्रभावित हुई है। क्या परिवर्तन हुए हैं? इस सम्बन्ध में जो तथ्य ज्ञात किये गये वे निम्न सारणी में दृष्टव्य हैं–

सारणी संख्या 01

ग्रामीण महिला–पारिवारिक प्रस्थिति

तथ्य	आवृति	प्रतिशत
परिवार के आय–व्यय पर सलाह ली जाती है	186	62
गृह कार्य में पति सहयोग करते हैं	168	56
पंचायत में आरक्षण से सम्मान में वृद्धि	90	30
घरेलू हिंसा में राहत	165	55
सम्पत्ति में अधिकार की प्राप्ति	111	37
शोषण से राहत मिली है	180	60
लड़कियों को अमांगलिक नहीं माना जाता	240	80
पुरूष निर्भरता पर कमी	84	28
शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हुए हैं	285	95
रोजगार हेतु समान अवसर प्राप्त हुए हैं	84	28
अधिकारों के प्रति जागरूकता हुई है	141	47
कुरीतियों के प्रति दृष्टिकोंण में परिवर्तन आया है	138	46

टिप्पणीः खुला प्रश्न होने के कारण प्रत्येक श्रेणी की आवृत्ति 100 में से निर्धारित है।

उपर्युक्त तथ्य इस ओर संकेत करते हैं कि ग्रामीण नारी की प्रस्थिति में आय–व्यय में परामर्श लेना, शोषण से राहत, लड़कियों को अमांगलिक नहीं मानना, शिक्षा के समान अवसर लड़की–लड़को को प्राप्त करना, घरेलू हिंसा में राहत आदि तथ्य इस ओर संकेत करते हैं कि ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक प्रस्थिति में परिवर्तन लक्षित हो रहा है परन्तु आज भी नारी सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित है, पुरूष निर्भरता इस ओर

संकेत करती है कि वह अभी स्वावलम्बी नहीं बन सकीं। कुरीतियों के प्रति भी अभी विशेष परिवर्तन नहीं आया है और अधिकांश महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो सकीं। पंचायत में आरक्षण से सम्मान में वृद्धि सुलभ नहीं हुई हैं केवल 30 प्रतिशत महिलाओं का यह कहना इस ओर संकेत करता है कि उनकी प्रस्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण नारी की पारिवारिक प्रस्थिति पर प्रभाव तो पड़ा है परन्तु उनकी प्रस्थिति में परिवर्तन की गति धीमी है।

सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्थिति पर प्रभाव :

ग्रामीण महिला का कार्यक्षेत्र यद्यपि घर के अन्दर ही रहा परन्तु शिक्षा–प्रसार, नारी के रोजगार क्षेत्र में प्रवेश, नियोजन में नारी हेतु निर्मित योजनायें और सहभागिता आदि से नारी की सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागिता बढ़ी है। स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में नारी की सहभागिता तथा राजनीति में पर्याप्त अवसर सुलभ होने पर महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन हुआ है।

ग्रामसभा, ग्रामीण विकास की प्राथमिक एवं अनिवार्य इकाई है जो ग्राम विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को सभी सदस्यों के परस्पर उनके विचार जानकर विकास के कार्यक्रम चलाती हैं। ग्रामसभा एक अथवा एक से अधिक गाँवों के सम्मिलित समूह को ग्रामसभा कहा जाता है जिसमें 21 वर्ष की आयु पूरा करने वाले सभी सदस्य ग्रामसभा के सदस्य होते हैं। प्रतिचयित सभी ग्रामीण महिलाएं ग्रामसभा की सदस्य हैं निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सभी ग्रामीण महिलाएं ग्रामसभा की सदस्य हैं।

ग्रामीण महिलाएं ग्रामसभा की सदस्य होने के कारण महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्र अथवा उनकी प्रस्थिति में क्या परिवर्तन हुए? इस सन्दर्भ में संकलित तथ्य सारणी में दृष्टव्य हैं–

सारणी संख्या 02

ग्रामसभा में सदस्य ग्रामीण महिला की प्रस्थिति पर प्रभाव

तथ्य	आवृति	प्रतिशत
ग्रामसभा की सदस्यता से परिवार की प्रस्थिति में सुधार	150	50
ग्रामसभा के सदस्य होने पर गाँव में प्रतिष्ठा बढ़ी है	165	55
महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता हुई है	180	60

टिप्पणीः खुला प्रश्न होने के कारण प्रत्येक श्रेणी की आवृत्ति 100 में से निर्धारित है।

सारणी विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रतिचयित ग्रामीण महिलाओं के ग्रामसभा की सदस्य होने के कारण उनके परिवार की प्रस्थिति में सुधार मानती हैं। 55 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं यह मानती हैं कि ग्रामसभा की सदस्य होने के कारण उनके मान–सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है तथा 60 प्रतिशत महिलाएं यह मानती हैं कि ग्रामीण महिलाएं समस्याओं के प्रति जागरूक हुई हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महिलाओं के ग्रामसभा की सदस्या होने से उनके परिवार की प्रस्थिति

में सुधार हुआ है, गाँव में प्रतिष्ठा बढ़ी है तथा महिलाएं समस्याओं के प्रति जागरूक हुई हैं।

ग्रामीण रूपान्तरण में ग्रामीण विकास की अनिवार्य इकाई ग्राम पंचायतें होती हैं अर्थात पंचायतें भारतीय गाँवों की आधारशिला रही है। प्रत्येक गाँव को एक लोकतंत्र बनाने का जो स्वप्न गाँधी जी ने देखा था उसे ग्रामीण पुनर्निर्माण में जन सामान्य को भागीदार बनाने की त्रिस्तरीय पंचायतीराज प्रणाली की शुरूआत के साथ ही साकार कर दिया गया है। भारत के पंचायतराज के इतिहास में 24 अप्रैल 1993 को एक स्वर्णिम दिन कहा जा सकता है। इस दिन संविधान (73 वाँ संशोधन) अधिनियम 1992 लागू हुआ जिससे पंचायतीराज संस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला।

ग्रामीण महिलाओं के सम्बन्ध में कि ग्रामीण महिलाएं ग्राम पंचायत में क्या योगदान करती हैं? पंचायत से उनकी प्रस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? फलस्वरूप ग्रामीण रूपान्तरण में क्या परिवर्तन आये हैं? प्रतिचयित ग्रामीण महिलाएं ग्राम प्रचायत की सदस्य हैं अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में तथ्य संकलित किये जो निम्न सारणी में दृष्टव्य हैं–

सारणी संख्या 03

ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण महिला

तथ्य	आवृति	प्रतिशत
ग्रामीण महिला ग्राम पंचायत की सदस्य हैं	27	09
ग्रामीण महिला ग्राम पंचायत की सदस्य नहीं हैं	273	91
योग	300	100

उपरोक्त सारणी विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण रूपान्तरण के लिए प्रतिचयित ग्रामीण महिलाओं में 09 प्रतिशत महिलाएं ग्राम पंचायत की सदस्य हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पंचायतों में महिला आरक्षण के लागू होने से उनकी सहभागिता को बढ़ावा मिला है। ग्रामीण रूपान्तरण में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका के लिए प्रतिचयित 3000 ग्रामीण महिलाओं से 27 महिलाएं ग्राम पंचायत की सदस्य हैं।

भारत ने आजादी के समय से विकास के लिए लम्बी दूरी तय की है और विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति भी की है। राष्ट्रीय रूपान्तरण की प्रक्रिया में ग्रामीण विकास को महत्व प्रदान करने की दृष्टि से हाल के वर्षों में सुधार के कदम उठाये गये हैं ताकि असन्तुलन को दूर किया जा सके। ग्रामीण पुनर्निर्माण में जन सामान्य को भागीदार बनाने की त्रिस्तरीय पंचायतीराज प्रणाली के तहत पंचायतीराज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा मिला है और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ तो क्या उनकी प्रस्थिति में परिवर्तन हुआ अथवा नहीं? प्रतिचयित ग्रामीण महिलाओं से अनुसूची के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया जो तथ्य प्राप्त हुए वह निम्न सारणी में दृष्टव्य हैं–

सारणी सं. 04

ग्राम पंचायत में आरक्षण से महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव

तथ्य	आवृति	प्रतिशत
ग्राम पंचायत में आरक्षण में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ	210	70
ग्राम पंचायत में आरक्षण में महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ	90	30
योग	300	100

सारणी विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 70 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं मानती हैं कि ग्राम पंचायत में महिलाओं को आरक्षण मिलने से उनकी स्थिति में सुधार हुआ है जबकि 30 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं का यह मानना है कि आरक्षण से उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों में आरक्षण से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ है।

संविधान निर्माता यह भली भाँति जानते थे कि भारतीय पंचायत प्रणाली में ही भारत की विरासत छिपी हुई है। इसलिए उन्होनें पंचायतों की स्थापना करने तथा उनका विकास करने एवं देश के समग्र विकास में उनकी भूमिका को सार्थक बनाने के उद्देश्य से पंचायत को राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धान्तों में शामिल किया। अतः पहली पंचवर्षीय योजना में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गयी। पहली ग्राम पंचायत राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारम्भ की गई। अतः तभी से पंचायतें भारतीय गाँवों की आधारशिला रही हैं। संविधान के अनुसार पंचायतों का स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में कार्य करने की शक्तियों एवं दायित्वों का वर्णन किया गया है।

अखिल भारतीय पंचायत सम्मेलन 5–6 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली में हुआ जिसमें पंचायत के अधिकारों एवं कार्यों का विकेन्द्रीकरण, ग्रामसभा के कार्य निचले स्तर पर विकास की योजना, लेखा परीक्षण, पंचायतों द्वारा संसाधनों का संग्रह और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों व क्षमता निर्माण के लिए जाग्रति पैदा करने सम्बन्धी विषयों पर विचार किया गया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी यह स्वीकार किया गया कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए केन्द्र से राज्यों को एवं राज्यों से जिलों का तथा जिलों के भीतर विभिन्न क्षेत्र एवं ग्रामों को सत्ता तथा शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाये। जो कि ग्रामीण पुर्नसंरचना का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विकेन्द्रीकरण लोगों के सशक्तिकरण के रूप में परिलिक्षत होता है। इससे जनसहभागिता बढ़ती है तथा दक्षता में सुधार होता है।

ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण से उनकी स्थिति में सुधार की स्थिति क्या रही है? इस सन्दर्भ में तथ्य संकलित किये गयें जो निम्न सारणी में दृष्टव्य हैं–

सारणी संख्या 05

ग्राम पंचायतः ग्रामीण महिलाओं की स्थिति

तथ्य	आवृति	प्रतिशत
पारिवारिक दायित्व निर्वहन में राहत मिली है	165	56
महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के कारण प्रतिष्ठा बढ़ी है	90	30

टिप्पणीः खुला प्रश्न होने के कारण प्रत्येक श्रेणी की आवृत्ति 100 में से निर्धारित है।

सारणी विश्लेषण से स्पष्ट है कि 56 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं यह मानती हैं कि ग्राम पंचायत में नारी को आरक्षण से उनके पारिवारिक दायित्व के निर्वहन में राहत मिली है। 30 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं यह मानती हैं कि महिला आरक्षण से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। 60 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं यह मानती हैं कि महिला आरक्षण से नारी शोषण में राहत मिली हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायत में महिला आरक्षण से ग्रामीण महिलाओं के पारिवारिक दायित्व निर्वहन में राहत के साथ–साथ नारी शोषण में राहत मिली है और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई है।

ग्राम पंचायत में महिला आरक्षण से ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न होने से सामाजिक शोषण में कमी आयी अथवा नहीं? इस सन्दर्भ में प्रतिचयित ग्रामीण महिलाओं से तथ्य संकलित किये जो निम्न सारणी में दृष्टव्य हैं

सारणी सं. 06

ग्रामीण महिला : सामाजिक भाोशण में कमी

तथ्य	आवृत्ति	प्रतिशत
महिलाओं की जागरूकता से सामाजिक शोषण में कमी आयी	180	60
महिलाओं की जागरूकता से सामाजिक शोषण में कमी नहीं आयी	120	40
योग	300	100

सारणी विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 60 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं यह मानती हैं कि महिलाओं में जागरूकता आने से सामाजिक शोषण में राहत मिली है जबकि 40 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं यह मानती हैं कि अभी ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक शोषण में कोई राहत नहीं मिली है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण से ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न हुई है फलस्वरूप उनके सामाजिक शोषण में कमी आयी है।

ग्रामीण विकास हेतु ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिल जाने से उनमें राजनीतिक चेतना का जाग्रत होना स्वाभाविक है, क्योंकि महिला आरक्षण से महिलाएं ग्राम पंचायत की प्रधान, सदस्य, एवं क्षेत्र पंचायत, पंचायत सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही हैं और क्षेत्र पंचायत, पंचायत सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही है। अतः राजनीति के रूप वह सक्रिय हुई है। ग्रामीण महिलाओं में राजनीति चेतना की जाग्रति की क्या

स्थिति रही है? इस सन्दर्भ में प्रतिचयित ग्रामीण महिलाओं से तथ्य संकलित किये गए जो निम्न सारणी में दृष्टव्य हैं–

सारणी स. 07

ग्रामीण महिला : सामाजिक भाोशण में कमी

तथ्य	आवृत्ति	प्रतिशत
ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक चेतना जाग्रत हुई है	168	56
ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक चेतना जाग्रत नहीं हुई है	132	44
योग	300	100

सारणी विश्लेषण से स्पष्ट है कि 56 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक चेतना जाग्रत हुई है और 44 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक चेतना जाग्रत नहीं हुई है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायत में महिला आरक्षण से महिलाओं में राजनीति चेतना तो जगी है परन्तु 44 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं की दृष्टि में राजनीतिक चेतना नहीं जगी है।

पिछले दिनों पंचायतीराज बनाम महिला सशक्तीकरण के बावत दो बड़ी खबरें देखने–सुनने को मिलीं। पहली खबर उत्तर–प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में सिरसा ब्लॉक से सम्बन्धित थी। यहाँ बी0डी0सी0 यानी क्षेत्र विकास पंचायत के लिए निर्वाचित 141 सदस्यों में से 46 महिलाएं थीं निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए शपथ ग्रहण का मौका आया तो 46 महिलाओं में से महज तीन महिला सदस्य हाजिर थीं जबकि नौ महिलाओं की शपथ उनके पतियों ने ली।

मार्च 2003 में "हंगर प्रोजेक्ट" तथा "प्रिया" की पहल पर देश के विभिन्न हिस्सों में दिल्ली आयीं करीब एक सौ से अधिक महिला सरपंचों का मानना था कि पंचायती व्यवस्था में कोटा प्रणाली से उन्हें निर्णय की प्रक्रिया में शिरकत का मौका तो जरूर मिला, लेकिन पुरूष सहकर्मियों की उनके पति असहयोग और उपेक्षा की प्रवृति अभी तक कायम है।

जाहिर है, महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के बावजूद पंचायतीराज न्यूनाधिक रूप से पुरूष राज ही है। इस व्यवस्था में अभी भी कई गढ़ ऐसे हैं, जिन्हें भेदना बाकी हैं और इस कार्य के लिए स्त्री शक्ति को अपने संघर्ष को और पैना करना होगा।

इस प्रकार तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि ग्रामीण महिलाओं को नेतृत्व तो मिला है लेकिन वह आज भी राजनीति, सामाजिक, आर्थिक रूप से जाग्रत नहीं हुई है और उनका सहयोग राजनीतिक चेतना में नहीं मिला पाता तथा अधिकांश कार्य उनके परिवार के सदस्य अथवा पति ही निपटा लेते हैं।

ग्रामीण महिलाएं अब केवल घर की दासी नहीं रही हैं। उन्होंने घर की चार दीवारी से बाहर निकलना शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने सार्वजनिक क्षेत्र में पदार्पण किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में नारी की सहभागिता से ग्रामीण विकास में सकारात्क प्रभाव देखने को मिलते हैं तथा महिला कल्याण कार्यक्रमों को भी गति मिली है। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महिला कल्याण कार्यक्रमों की गति कैसी रही है? इस सन्दर्भ में ग्रामीण महिलाओं से तथ्य संकलित किये गये जो निम्न सारणी

में दृष्टव्य हैं–

सारणी सं. 8

ग्रामीण महिला : महिला कल्याण कार्यक्रमों में गति

तथ्य	आवृत्ति	प्रतिशत
महिला कल्याण कार्यक्रमों को गति मिली है	123	41
महिला कल्याण कार्यक्रमों को गति नहीं मिली है	177	59
योग	300	100

सारणी विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 41 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं यह मानती हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में नारी की सहभागिता से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महिला कल्याण कार्यक्रमों को गति मिली है। 59 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं का यह कहना है कि महिला कल्याण कार्यक्रमों को कोई गति नहीं मिली है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महिला कल्याण कार्यक्रमों को गति तो मिली है किन्तु यह गति बहुत धीमी है तथा अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।

सन्दर्भ :

1. Status is the position with the individual occupies in the group my virtue of his sex' age' family' class' occupation' mangage and chivment- Eliatt and maril: Social Disorganizaton' p.9
2. Ralph Lintion: The Study of man, 1936
3. राम आहूजा : सामाजिक समस्याएं, वही, पृ 228
4. वही पृ 228
5. भारत, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 2003 पृ 505
6. वही पृ 504
7. वही पृ 507
8. दैनिक अमर उजाला, आगरा 31 मार्च 2006, पृ 2
9. वही पृ 2
10. वही पृ 3